रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2003/चैत्र 27, 1925
No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2003/CHAITRA 27, 1925

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 338(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (दूसरा संशोधन) नियम 2003 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 की अनुसूची में,

(क) प्ररूप ज- । में, भाग- iv (सामान्य भूविज्ञान एवं खनन) में, -

(I) क्रम संख्या क 1 में, मद (ख) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, नामतः :-

"(ख) आकृति-विज्ञान(जो भी लागू है/हैं उस पर सही का निशान लगाएं)

(i) नियमित प्रकृति के स्ट्रैटीफॉर्म, स्ट्रैटाबाउंड और टैबूलर निक्षेप;

(ii) अनियमित प्रकृति के स्ट्रैटीफॉर्म, स्ट्रैटाबाउंड और टेबूलर निक्षेप;

(iii) सभी आयामों की लेंटीक्यूलर बाडीज जिनके अंतर्गत मिश्रित शिराओं के एन इक्लोन सिलिसिफाइड लीनियर जोनों में पाई जाने वाली बाडीज;

(iv) लेंसिस, वेन्स और पॉकेट्स; स्टॉक-वर्क्स, अनियमित आकार, साधारण से छोटे आकार की बाडीज

(v) जैमस्टोन और रेअर मैटल पैग्मेटाइट,रीफ्स और वेन्स;

(vi) पहाड़ी और घाटी के प्लेसर और अवशिंष्ट खनिज निक्षेप तथा

(vii) आयामी पत्थर ।";

(2) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न क्रम संख्याक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"4. वर्ष के दौरान आरक्षितियां और संसाधन आकलन ।

वर्गीकरण	कोड	मात्रा	ग्रेड
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल खनिज संसाधन (क + ख)			
क. खनिज आरक्षिति 1. प्रमाणित खनिज आरक्षिति 2. संभावित खनिज आरक्षिति	111 121 और 122		
ख. शेष संसाधन 1. व्यवहार्यता खनिज संसाधन	211		
2. पूर्व-व्यवहार्यता खनिज संसाधन	221 और 222		
3. मापित खनिज संसाधन	331		
4. उपदर्शित खनिज संसाधन	332		
5. उपलक्षित खनिज संसाधन	333		
6. टोही खनिज संसाधन	334		

नोट- संदेह को दूर करने के लिए इस प्ररूप में उल्लिखित वर्गीकरण, निबन्धनों और कोडों का वही अर्थ है जो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में है ।"

(ख) क्रम सं. 1 और 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर प्ररूप ज- 9, भाग-4 (सामान्य भू-विज्ञान और खनन) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"1. भू-वैज्ञानिक, व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।
(क) नीचे दिए गए (i), (ii) और (iii) में से जो लागू हो उस पर सही का निशान (✓)लगाएं ।

(i) टोही/पूर्वेक्षण/सामान्य गवेषण/विस्तृत गवेषण ।
(ii) भू-वैज्ञानिक अध्ययन/पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन/व्यवहार्यता अध्ययन ।
(iii) मूलभूत आर्थिक/ संभावित आर्थिक/आर्थिक ।

(ख) वर्ष के दौरान 1 (क) के अंतर्गत दर्शाए गए अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण ।

2. वर्ष के दौरान आरक्षितियां और संसाधनों का आकलन

वर्गीकरण	कोड़	मात्रा	ग्रेड
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल खनिज संसाधन (क + ख)			
क. खनिज आरक्षिति			
1. प्रमाणित खनिज आरक्षिति	111		
2. संभावित खनिज आरक्षिति	121 और 122		
ख. शेष संसाधन			
1. व्यवहार्यता खनिज संसाधन	211		
2. पूर्व-व्यवहार्यता खनिज संसाधन	221 और 222		
3. मापित खनिज संसाधन	331		
4. उपदर्शित खनिज संसाधन	332		
5. उपलक्षित खनिज संसाधन	333		
6. टोही खनिज संसाधन	334		

नोट : संदेह को दूर करने के लिए, इस प्ररूप में उल्लिखित वर्गीकरण, निबन्धनों और कोडों का वही अर्थ है जो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में है ।"

[फा. सं. 8/1/2001-खान 6]
एस. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट : - मूल नियम दिनांक 24.10.1988 के जी एस आर सं. 1023(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसमें निम्न संशोधन किए गए :

1. जी.एस.आर. सं. 227 (अ) दिनांक 22.4.1991
2. जी.एस.आर. सं. 580 (अ) दिनांक 4.8.1995
3. जी.एस.आर. सं. 55 (अ) दिनांक 18.1.2000
4. जी.एस.आर. सं. 744 (अ) दिनांक 25.9.2000
5. जी.एस.आर. सं. 22 (अ) दिनांक 11.01.2002
6. जी.एस.आर. सं. 330(अ) दिनांक 10-04-2003

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2003

G.S.R. 338(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 1988, namely : -

1. (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Second Amendment) Rules, 2003

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Mineral Conservation and Development Rules, 1988,

(a) in Form H-1, in Part-IV (General Geology & Mining),-

(1) in serial number 1, for item(b) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"(b) Morphology (Tick mark whichever is/are applicable)

(i) Stratiform, stratabound and tabular deposits of regular habit;
(ii)Stratiform, stratabound and tabular deposits of irregular habit;
(iii)Lenticular bodies of all dimensions including bodies occurring en echelon silicified linear zones of composite veins;
(iv)Lenses, veins and pockets; stock-works, irregular shaped, modest to small size bodies;
(v) Gemstone and raremetal pegmatites, reefs and veins;
(vi) Placers and residual mineral deposits of hill and valley wash and
(vii)Dimension stones." ;

(2) for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

"4. Reserves and Resources estimation during the year.

Classification	Code	Quantity	Grade
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Mineral Resources (A + B)			
A. Mineral Reserve			
1. Proved Mineral Reserve	111		
2. Probable Mineral Reserve	121 and 122		
B. Remaining Resources			
1. Feasibility Mineral Resource	211		
2. Prefeasibility Mineral Resource	221 and 222		
3. Measured Mineral Resource	331		
4. Indicated Mineral Resource	332		
5. Inferred Mineral Resource	333		
6.Reconnaissance Mineral Resource	334		

Note.- For the removal of doubts, the classification terms and codes mentioned in this Form shall have the same meaning as assigned to them in the Guidelines issued by Indian Bureau of Mines in this regard." ;

(b) in Form H-9, in PART-IV (General Geology & Mining), for serial numbers 1 and 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"1. Give a brief account of geological, feasibility and economic viability studies.

a. Tick mark as applicable from each (i), (ii) and (iii) below:

(i) Reconnaissance/Prospecting/General Exploration/Detailed Exploration.
(ii) Geological Study/Pre-feasibillty Study Feasibility Study.
(iii)Intrinsically Economic/Potentially Economic/Economic.

b. Brief account of the studies indicated under 1(a) during the year.

1124 GI/13

2. Reserves and Resources estimation during the year.

Classification	Code	Quantity	Grade
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Mineral Resources (A + B)			
A Mineral Reserve			
(1) Proved Mineral Reserve	111		
(2)Probable Mineral Reserve	121and 122		
B Remaining Resources			
(1)Feasibility Mineral Resource	211		
(2)Prefeasibility Mineral Resource	221and 222		
(3) Measured Mineral Resource	331		
(4)Indicated Mineral Resource	332		
(5)Inferred Mineral Resource	333		
(6)Reconnaissance Mineral Resource	334		

Note.- For the removal of doubts, the classification terms and codes mentioned in this Form shall have the same meaning as assigned to them in the Guidelines issued by Indian Bureau of Mines in this regard.".

[F. No. 8/1/2001-M.VI]
S. P. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette, vide GSR No.1023(E) dated 24.10.1988 and subsequently amended by -

1. GSR.No.227(E) dated 22.4.1991
2. GSR No.580(E) dated 4.8.1995
3. GSR No.55(E) dated 18.1.2000
4. GSR No.744(E) dated 25.9.2000
5. GSR No.22(E) dated 11.1.2002
6. GSR No. 330(E) dated 10-4-2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.